

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(5)न्याय/2012

जयपुर, दिनांक : 28 Jun. 2013

अधिसूचना

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा कमीशन फार प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर (जिला) एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर (जिला) को क्रमशः जयपुर द जोधपुर जिले की स्थानीय सीमाओं के लिए तथा अन्य शेष समस्त जिलों के जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से

4/6/12/2/113

(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, (राज0)।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर (जिला)/जोधपुर (जिला) (राज0)।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक/शासन सचिव, अभियोजन/वादकरण, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ। (सीडी सहित)
13. रक्षित पत्रावली।

4/6/12/2/113
(देवेन्द्र प्रकाश शर्मा)
उप शासन सचिव